तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02/04/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस [illegible] के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छिपाबड़ौद की वादग्रस्त आराजी ख०न० 1356/1006 रकबा 0.7967 हैक्टे० की जमाबंदी संवत 2072-75 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का Recorded Khatedar tenant है जबकि ख०न० 1355/1006 अप्रार्थी 6 की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

प्रार्थी का कथन है कि वह विगत 40 वर्षों से ख०न० 1356/1006 पर ही काबिजकाश्त है जबकि अप्रार्थी 1,6,7 का जवाब है कि प्रार्थिया की भूमि ख०न० 1355/1006 है लेकिन मौके पर कई वर्षों से ख०न० 1356/1006 की जगह ही काबिजकाश्त होकर तारफेंसिंग भी कर रखी है। किसी भी पक्षकार ने कब्जा काश्त के सम्बंध मे कोई भी साक्ष्य पेश नही किया है। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष स्वयं साबित करना है क्योंकि प्रार्थी की रिकार्ड खाते की भूमि पर किस आदेश से काबिज है, यह साबित करना आवश्यक है। it is well settled legal position है कि जब तक विपरीत साबित नही हो जाये तब तक खातेदार की भूमि पर उसी का कब्जा माना जावेगा। अप्रार्थी 1,6,7 ने स्वयं स्वीकार किया है कि ख०न० 1355/1006 पहले रामा पिता लटक्या मेहरवाल के खाते दर्ज थी जो 2014 मे [illegible] गई थी। प्रार्थी ग्राम हरनावदा[illegible] है जबकि अप्रार्थी 6 [illegible] निवासी है अत: प्रकरण मे स्थगन [illegible] होने पर प्रार्थी खातेदार को अधिक सुविधा होगी और अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को कारित होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:58:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा…
	2. यदि सेटलमेंट के समय राजस्व नक्शे में राजस्व कार्मिकों द्वारा गलत तरमीम की गई है तो प्रार्थी 6 सक्षम न्यायालय में वाद/प्रा० पत्र दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।	
	3. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम हरनावदाखीचा (?) की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1356/1009 पर अवैध कब्जा नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को तादीलनामुताबिक (?) धारा (?) अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।	
	02/4/26 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:58:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner